प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1.	श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता	प्रार्थीगण
2.	श्री हनुमान भादू अधिवक्ता	अप्रार्थी सं. 1
3.	श्री मदन गोपाल	अप्रार्थी सं. 2—3
4.	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी सं. 4

—:: निर्णय ::—

दिनांक :— 23/2/26

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. अप्रार्थीगण के विरूद्व अधिवक्ता श्री हीरालाल बिरथलिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 ता 5 हिन्दू संयुक्त परिवार के सदस्य है जो

सहायक कलक्टर एवं
खण्ड अधिकारी पीलीबंगा

...रा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी ... संयुक्त परिवार के कर्ता प्रार्थीगण के दादा श्री पठान सिंह थे।

अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के खाता सं. 65 के प.नं. 9/339 के किला नं. 12/1, 18, 19, 20/1, 22/2, 23/2, 24, 25 की 1.163 हैक., प.नं. 9/340 के किला नं. 1 ता 12, 13/1 की 3.162 हैक. कुल तादादी 4.325 हैक. नाली प्रथम द्वितीय गे रो 3527/12975 हिस्सा मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के खाता सं. 52 के प.नं. 9/339 के किला नं. 11/2, 19/2, 20/2, 21, 22/1, 23/1 कुल 0.784 हैक. नाली प्रथम गे रो 1/6 हिस्सा कृषि भूमि मुताबिक नकल जमाबन्दी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3–4 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थीगण के दादा श्री पठान सिंह पुत्र महताब सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जो उनके देहान्त के पश्चात अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त होकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हुई। साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2059–62 पठान सिंह पुत्र महताब सिंह संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3–4 मे अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। कुछ समय पूर्व उक्त पैतृक कृषि भूमि को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य घरा घरू विवाद हुआ और उक्त घरा घरू विवाद को लेकर पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारो ने आपसी सहमति से घरा घरू बंटवारा करवा दिया और घरा घरू बंटवारा के समय अप्रार्थी सं. 4–5 ने अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष मे त्याग कर दिया तत्पश्चात वादी सं. 1–2 व अप्रार्थी सं. 2 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब., वादी सं. 3–4 व अप्रार्थी सं. 3 को 1/3 हिस्सा ब.हि.ब. व अप्रार्थी सं. 1 को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ और उसी अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 ता 3 अपने–अपने हक व हिस्सानुसार काबिज काश्त हुये और वर्तमान मे भी उकत हक व हिस्सानुसार ही फसल काश्त की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त रकवा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से प्रार्थीगण की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 के नाम वाद पत्र की दफा 3–4 मे वर्णित रकबा मे से वादी सं. 1–2 अपने 2/9 हिस्सा व वादी सं. 3–4 अपने 2/9 हिस्सा की घोषणा करवाने के अधिकारी है जो कि घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किये जाने की डिक्री पारित की जावे

यह कि प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि पर घरू बंटवारा के समय से ही शांतिपूर्वक काबिज काश्त है लेकिन प्रार्थीगण के पिता जो कि नशेडी प्रवृत्ति के व्यक्ति है और किसी प्रकार का कोई कार्य नही करते है अर्थात बहले रहते हैं और प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि मे जबरन काबिज होकर खुर्द बुर्द कर हर प्रकार से क्षति पहुचाना चाहते है। प्रार्थीगण के पिता प्रार्थीगण की माता के साथ मारपीट व लड़ाई झगड़ा करते है इसलिए प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की माता खेत मे आकर रिहायस करने लगी और अब पिछे से प्रार्थीगण के पिता जो कि चालाक प्रवृत्ति के व्यक्ति है ने अप्रार्थी सं. 1 को अपने चुंगल मे ले रखा है। प्रार्थीगण के दादा बुजुर्ग है और अप्रार्थी सं. 2–3 एक राय होकर अप्रार्थी सं. 1 से वादग्रस्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से रकबा को हर प्रकार से रहन बैय व अन्य प्रकार से हस्तांतरण करने आमादा है। यदि अप्रार्थीगण अपने इन मनसुबो मे कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए उक्त तत्कालिक परिस्थितियों को देखते हुये अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी की जावे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की जावे कि ता निस्तारण वाद अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 34 एसटीजी के खाता सं. 65

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

प.नं. 9/339 के किला नं. 12/1, 18, 19, 20/1, 22/2, 23/2, 24, 25 की 1.163 हैक. प.नं. 9/340 के किला नं. 1 ता 12, 13/1 की 3.162 हैक. कुल तादादी 4.325 हैक. मे से 3527/12975 हिस्सा व खाता सं. 52 के प.नं. 9/339 के किला नं. 11/2, 19/2, 20/2, 21, 22/1, 23/1 कुल 0.784 हैक. नाली प्रथम मे से 1/6 हिस्सा भूमि के मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे, रहन बैय नही करे तथा वादीगण के अधिकारों के विरूद्व किसी प्रकार से कोई दस्तावेज तहरीर व पंजीयन करवाने से ममनू व बाज रहे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट सरिस्ता दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतू जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तामिल करवाई गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत हुआ कि:–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 अस्वीकार है। पार्थीगण की दावा मे कोई कामयाबी की नही होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 अस्वीकार है, जिसका सिद्व भार प्रार्थीगण पर है।

3. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी चालू के दर्ज नही होने से अस्वीकार है जबकि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के चालू के खाता सं. 92/65 के प.नं. 9/339 मु.नं. 9 किला नं. 18/1, 19/3, 20/1, 22/2, 23/3 प.नं. 9/340 के किला न. 1 ता 3, 7/2 की कुल 1.1650 हैक. नाली प्रथम द्वितीय अप्रार्थी सं. 1 महेनद्र सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है जो मुझ अप्रार्थी सं. 1 के कब्जा काश्त मे चली आ रही है जो मुझ अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं अर्जित कृषि भूमि है जिसमे से प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 5 अस्वीकार है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 6 अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने तमाम तथ्य निराधार वर्णित किये है जिनसे प्रार्थीगण कोई कानूनी हक व हिस्सा प्राप्त नही होता है। मुझ अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा कभी भी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 के कब्जा काश्त मे उकत कृषि भूमि नही है। प्रार्थीगण ने तमाम तथ्य निराधार वर्णित किये है। प्रार्थीगण ने वाके तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प.नं. 9/339 के किला नं. 11/3, 18, 19, 20/3, 22/2, 23/2, 24, 25 व प.नं. 9/340 मु.नं. 11 किला नं. 1 ता 12, 13/1 की कुल 4.325 हैक. कृषि भूमि मे से अपने हक व हिस्सा की घोषणा हेतू पूर्व मे श्रीमान जी के न्यायालय मे अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2020 को अनवान मंयक बनाम महेन्द्र सिंह आदि पेश किया था जिसमे से प्रार्थी ने अपना नाम मंयक व अपने पिता का नाम श्योप्रकाश व अपने दादा का नाम महेन्द्र सिंह व अपने पड़दादा का नाम पठान सिंह होना जाहिर कर पेश किया था जिसमे मुझ प्रार्थी अप्रार्थी नं. 1 था जबकि श्रीमान जी के समक्ष जेरकार यह प्रार्थना पत्र उसी प्रार्थी मंयक द्वारा अपना नाम महक जिसके पिता का नाम सोमप्रकाश श्योप्रकाश व दादा का नामह महेन्द्र सिंह व पड़दादा का नाम पठान सिंह होना जाहिर कर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो उसी कृषि भूमि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 34 एसटीजी के प.नं. 9/339 के किला नं. 11/3, 18, 19, 20/3, 22/2, 23/2, 24, 25 व प.नं. 9/340 मु.नं. 11 किला नं. 1 ता 12, 13/1 की कुल 4.325 हैक. कृषि भूमि मे से अपने हक व हिस्सा की घोषणा का दादा उक्त मयंक यानि महक ने पेश किया है जबकि उक्त मंयक यानि महक एक ही व्यक्ति है जिसके द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2021 को प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज हो चुका है। अब प्रार्थी महक पुत्र सोमप्रकाश ने अन्य प्रार्थीगण से मिली भगत कर प्रार्थना पत्र पेश किया। जिससे हस्तगत प्रकरण महक आदि बनाम महेन्द्र आदि प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रार्थीगण कोई वाद कारण हासिल नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किये जाने योग्य है। जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अवलोकनार्थ पूर्व मे खारिज शुदा उक्त दावा व प्रार्थना पत्र के सबुत पेश है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 7 अस्वीकार है प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 एक ही
के व्यक्ति है जिन्होने सही तथ्यों को छुपा कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पूर्व मे
र्थना पत्र खारिज हो जाने के महत्व पूर्ण तथ्यों को छुपाया है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अप्रार्थी सं. 4–5 पर विधिवत तामिल होने पर अप्रार्थी सं. 4–5 को न्यायालय मे बार–बार अवाजे लगाई गई। अप्रार्थी सं. 4–5 न्यायालय मे उपस्थित नही होने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

राज पेरोकार की ओर से जबाव इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि राज्य हित को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन कि प्रार्थीगण नाबालिग है तथा अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है इसलिए ता निस्तारण वाद अस्थाई निषेधाज्ञा कनर्फम की जावे। अप्रार्थी सं. 1 ता 3 के अधिवक्ता ने अपने जवाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि स्वयं अर्जित कृषि भूमि है जिसमे प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 2 ता 5 का कोई हक व हिस्सा नही बनता है। प्रार्थीगण द्वारा ईकरारनामा कर अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि की राशि प्राप्त कर ली है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

–:: आदेश ::–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों, दस्तावेजों का भली भांति अवलोकन व अध्ययन किया गया। राजस्व अभिलेख से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण का वाद विचारणीय है। यदि विवादित भूमि मे यथास्थिति बनाये नही रखी गई तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के नाम वर्णित चक 34 एसटीजी के खाता सं. 92 के प.नं. 9/339 के किला नं. 18/1, 19/3, 20/1, 22/2, 23/2, 24, 25, प.नं. 9/340 के किला नं. 1 ता 3, 7/2 कुल तादादी 1.165 हैक. व खाता सं. 52 के प.नं. 9/339 की कुल 0.784 हैक. मे से अप्रार्थी सं. 1 के 1/6 हिस्सा की कृषि भूमि मे से प्रार्थीगण के हक व हिस्सा तक की कृषि भूमि पर पूर्व मे पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 09.02.2023 को यथावत रखते हुए कनफर्म किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे दिनांक 23/2/26....... सुनाया गया।

(उमा मित्तल, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा